



छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ

सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 182/2006

आवेदकगण/प्रतिवादी संख्या 1, 3 एवं 4 :-

- (1) श्रीमती दुकाला बाई, आयु लगभग 80 वर्ष, .पति स्व. श्याम लाल गुप्ता, निवासी ग्राम कोटा, जिला बिलासपुर [छत्तीसगढ़]
- (2) विनोद कुमार गुप्ता, आयु लगभग 38 वर्ष, आत्मज लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता,
- (3) राजेश कुमार गुप्ता, आयु लगभग 36 वर्ष, आत्मज लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता,
आवेदक संख्या 2 एवं 3, निवासी मुंगेली रोड, कुदुदंड, बिलासपुर, बिलासपुर
[छत्तीसगढ़]

विरुद्ध

अनावेदकगण/वादी:

- (1) श्रीमती कुसुम बाई गुप्ता, आयु लगभग 55 वर्ष, पति जगदीश प्रसाद गुप्ता, निवासी कुदुदंड, बिलासपुर, जिला बिलासपुर [छत्तीसगढ़]

प्रत्यर्थागण/प्रतिवादी:

- (2) श्रीमती अंबिका बाई, आयु लगभग 60 वर्ष, पति दुर्गा प्रसाद गुप्ता, निवासी किला वार्ड, जूना बिलासपुर, जिला बिलासपुर [छत्तीसगढ़]
- (3) शत्रुघ्न प्रसाद, आयु लगभग 48 वर्ष, आत्मज स्वर्गीय श्याम लाल गुप्ता, निवासी कृष्ण नगर वार्ड, जूना बिलासपुर, जिला बिलासपुर [छत्तीसगढ़]
- (4) श्रीमती निर्मला बाई, आयु लगभग 46 वर्ष, पति कृष्ण कुमार गुप्ता, निवासी कृष्ण नगर वार्ड, जूना बिलासपुर, जिला बिलासपुर [छत्तीसगढ़]
- (5) जगदीश प्रसाद गुप्ता, आयु लगभग 57 वर्ष, आत्मज रामभरोस गुप्ता, निवासी मार्फत जगदीश किराना स्टोर्स, मुख्य मार्ग कुदुदंड, बिलासपुर [छत्तीसगढ़]
- (6) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा कलेक्टर, बिलासपुर

व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 115 के अधीन सिविल पुनरीक्षण



08/12/2006

याचिकाकर्ता के लिए श्री रविंद्र अग्रवाल, अधिवक्ता।

तर्क सुने गए।

इस सिविल पुनरीक्षण को उद्भूत करने वाले विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में प्रत्यर्थागण को नोटिस जारी किए बिना इसका निराकरण किया जा रहा है।

संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वादी/प्रत्यर्थी श्रीमती कुसुम बाई गुप्ता ने व्यवहार न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में एक व्यवहार वाद क्रमांक 14-क /2006 संस्थित किया था, जिसमें अनुसूची-क में वर्णित वाद संपत्ति पर स्वत्व की घोषणा का अनुतोष और इस घोषणा का अनुतोष भी ईप्सित किया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 7, प्रतिवादी क्रमांक 4 का अभिधारी नहीं है तथा वादी अनुसूची-() से () में वर्णित वाद संपत्ति के 2/12 वें हिस्से के विभाजन की हकदार थी। प्रतिवादी क्रमांक 4 को अनुसूची-क में वर्णित संपत्ति पर वादी के कब्जे में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करने से रोकने हेतु स्थायी व्यादेश और लेखा प्रस्तुत करने हेतु अनिवार्य व्यादेश का अनुतोष भी मांगा गया था।

वादी ने वाद संपत्ति का मूल्य 80,00,000/- रुपये आंका था और अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वाद का मूल्यांकन 80,00,000/- रुपये के 2/12वें हिस्से अर्थात् 12,50,000/- रुपये पर किया। हालांकि, वादी ने वाद-पत्र की कंडिका 20 में उल्लेख



किया कि वह उपरोक्त अनुतोषों के लिए केवल 1060/- रुपये का वाद मूल्य चम्पा कर रही है।

प्रतिवादी क्रमांक 1 से 4 और 6 ने दिनांक 29.7.2006 को व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन (अनुलग्नक क -2) दायर कर प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि वादी द्वारा दावा किए गए अनुतोषों का मूल्यांकन कम किया गया था।

विद्वान जिला न्यायाधीश, बिलासपुर ने आदेश VII नियम व्य० प्र० सं० के उक्त आवेदन पर बहस सुनने के बाद, गुणावगुण के आधार पर इसका निर्णय करने के बजाय यह अभिनिर्धारित किया कि वाद मूल्यांकन का प्रश्न साक्ष्य दर्ज किए बिना विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और इस आधार पर उस चरण में वाद-पत्र निरस्त किए जाने योग्य नहीं था। उपरोक्त टिप्पणी के साथ, विद्वान जिला न्यायाधीश ने व्य० प्र० सं० के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन का निराकरण कर दिया। इस प्रकार, जिला न्यायाधीश उस अधिकारिता का प्रयोग करने में विफल रहे जो न्यायालय में निहित थी और साथ ही एक प्रक्रियात्मक अनियमितता भी कारित की।

जैसा कि सलीम भाई एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य; 2003 एस.ए.आर. (सिविल) 86 के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है, व्य० प्र० सं० के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन का विनिश्चय करने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों को देखा जाना आवश्यक है, वे वाद-पत्र के प्रकथन हैं और विचारण न्यायालय



वाद-पत्र दर्ज करने से पहले या प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद वाद के किसी भी चरण में व्य० प्र० सं० के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आदेश VII नियम 11 व्य० प्र० सं० के खंड (क) और (घ) के तहत आवेदन के विनिश्चय के प्रयोजनों के लिए, वाद-पत्र के प्रकथन ही मुख्य आधार हैं; प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में लिए गए तर्क उस चरण में पूरी तरह अप्रासंगिक होंगे, इसलिए, आदेश VII नियम 11 व्य० प्र० सं० के तहत आवेदन का विनिश्चय किए बिना जवाबदावा दाखिल करने का निर्देश देना विचारण न्यायालय द्वारा अधिकारिता के प्रयोग से जुड़ी प्रक्रियात्मक अनियमितता के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। अतः, यह आदेश इसलिए न्यायालय में निहित अधिकारिता का प्रयोग न करने के साथ-साथ प्रक्रियात्मक अनियमितता से ग्रस्त है।

प्रकरण के इस परिप्रेक्ष्य में, व्य० प्र० सं० के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन दाखिल करने के चरण में, और जवाबदावा दाखिल करने से पहले, विद्वान जिला न्यायाधीश को यह विचार करना आवश्यक था कि क्या न्यायालय के अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वादी द्वारा रखे गए मूल्यांकन को सत्य स्वीकार करते हुए, वादी को वाद मूल्यांकन अधिनियम की धारा 8 के तहत यथा मूल्य वाद मूल्य का संदाय करना आवश्यक था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलीम भाई एवं अन्य (उपरोक्त) में प्रतिपादित सिद्धांत को देखते हुए, आक्षेपित आदेश विधि में पोषणीय नहीं है।



विद्वान जिला न्यायाधीश, बिलासपुर को प्रतिवादियों द्वारा दायर व्य0 प्र0 सं0 के आदेश VII नियम 11 के आवेदन पर पक्षकारों को नए सिरे से सुनने और यह आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाता है कि क्या वादियों द्वारा ईप्सित अनुतोष अधिकारिता के प्रयोजनों के लिए वादियों द्वारा रखे गए मूल्यांकन के प्रत्यक्ष स्वरूप पर वाद मूल्य के प्रयोजनों के लिए कम मूल्यांकित थे और यदि ऐसा है, तो क्या वादी को दावा किए गए अनुतोषों पर यथा मूल्य वाद मूल्य का भुगतान करना आवश्यक था।

उपरोक्त टिप्पणी के साथ, यह सिविल पुनरीक्षण स्वीकार किया जाता है।

स्थगन प्रदान करने हेतु एम.(सी).पी. क्रमांक 2173/2006 भी निराकृत किया

जाता है।



सही/-
दिलीप रावसाहब देशमुख
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।